# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित )

प्रकरण संख्या 11 / 2021

प्रविष्टि दिनांक 19.11.2020

जरिये रामभजन मीणा, प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै0श्री जी मावा पनीर भण्डार शिवालय रोड पीपलू टोंक
– अप्रार्थी

**जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस,एक रबर पाईप मय रेगूलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत**

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी स्वंय

## निर्णय दिनांक 21.12.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान के तहत दिनांक 01.11.2020 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा पीपलू में स्थित मै. श्री जी मावा पनीर भण्डार, शिवालय रोड पीपलू, टोंक के व्यवसायी परिसर पर आकस्मिक जाँच हेतु मौके पर संयुक्त जॉचदल के साथ पहुँचें। मौके पर श्री सुरेश पुत्र श्री जगन्नाथ जाति गुर्जर उपस्थित पाये गये जिन्होने स्वंय को मालिक मै. श्री जी मावा पनीर भण्डार, शिवालय रोड पीपलू, टोंक का प्रोपराईटर बताया। मौके पर व्यवसाय परिसर स्थल की तलाशी लेने पर घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 2 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से दो सिलेण्डर रबर पाईप, मय रेगुलेटर के माध्यम से अवैध रूप से मावा बनाने के पदार्थ बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय रबर पाईप मय रेगुलेटर सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

| क्र.स. | एस . आर . नम्बर | कम्पनी का नाम | मानक भार | खाली सिलेण्डर वजन | सिलेण्डर का तौलने पर वजन | शुद्ध गैस |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 2675725 | इण्डेन गैस | 14.2 | 16.0 | 24.800 | 8.800 |
| 02 | 2506305 | इण्डेन गैस | 14.2 | 15.6 | 18.00 | 2.400 |

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर ईधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 11.2 Kg एलपीजी गैस पाईप मय रेगुलेटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान के तहत दिनांक 01.11.2020 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा पीपलू में स्थित मै. श्री जी मावा पनीर भण्डार, शिवालय रोड पीपलू, टोंक के व्यवसायी परिसर पर आकस्मिक जॉच हेतु मौके पर संयुक्त जॉच दल के साथ पहुँचें। मौके पर श्री सुरेश पुत्र श्री जगन्नाथ जाति गुर्जर उपस्थित पाये गये जिन्होने स्वंय को मालिक मै. श्री जी मावा पनीर भण्डार, शिवालय रोड पीपलू, टोंक का प्रोपराईटर बताया। मौके पर व्यवसाय परिसर स्थल की तलाशी लेने पर घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 2 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से दो सिलेण्डर रबर पाईप, मय रेगुलेटर के माध्यम से अवैध रूप से मावा बनाने के पदार्थ बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर ईधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है।उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 11.2 Kg एलपीजी गैस रबर पाईप, रेगुलेटर जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की [illegible] सम्भालकर रखने हेतु चन्देल इण्डेन ग्रामीण पीपलू के डिलेवरी [illegible] में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार [illegible] प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त [illegible] (प्रदाय और

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 11.2 Kg एलपीजी गैस पाईप मय रेगुलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश न कर प्रकरण का उचित निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया।

हमने पेरोकार सरकार की बहस एंव अप्रार्थी के कथन पर मनन किया व पत्रावली का अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 1.11.2020 के अनुसार मै. श्री जी मावा पनीर भण्डार, शिवालय रोड पीपलू, टोंक की दुकान/परिसर स्थल का निरीक्षण करने पर मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर को ईधन के रूप में अवैध रूप से कार्य करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

| क्र.स. | एस . आर . नम्बर | कम्पनी का नाम | मानक भार | खाली सिलेण्डर वजन | सिलेण्डर का तौलने पर वजन | शुद्ध गैस |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 2675725 | इण्डेन गैस | 14.2 | 16.0 | 24.800 | 8.800 |
| 02 | 2506305 | इण्डेन गैस | 14.2 | 15.6 | 18.00 | 2.400 |

जांच करने पर दुकान/परिसर मे मौके पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर धर्मराज व दिलराज के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी दिलराज,धर्मराज व सुरेश के हस्ताक्षर है। चन्देल इण्डेन ग्रामीण पीपलू के डिलेवरी मैन श्री राधेश्याम को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से कार्य में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 2 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 11.2 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते